

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)  
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्या:-

99 / 2019

निर्णय दिनांक:-

11.01.2021

उनवान

कजोड पुत्र रामकुवार जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सडा तहसील उनियारा जिला टोक  
प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपरिस्थित:-

1. श्री रामकिशन सैनी वकील प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं:-  
यह कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 9 ख0न0 235 रकबा 0.10, ख0न0 236 रकबा 0.03, ख0न0 251 रकबा 0.04, ख0न0 254 रकबा 0.27, ख0न0 255 रकबा 0.21, ख0न0 299 रकबा 0.13, ख0न0 300 रकबा 0.13, ख0न0 307 रकबा 0.20, ख0न0 316 रकबा 0.39, ख0न0 703 रकबा 2.80 कुल किता 10 कुल रकबा 4.30 है0 वाके ग्राम सडा एवं खाता संख्या 6 ख0न0 239 रकबा 0.20, ख0न0 240 रकबा 0.35, ख0न0 298 रकबा 0.29, ख0न0 301 रकबा 0.02, ख0न0 310 रकबा 0.16, ख0न0 317 रकबा 0.15, ख0न0 318 रकबा 0.08, ख0न0 629/747 रकबा 0.36, ख0न0 376 रकबा 0.04, ख0न0 704 रकबा 2.55 कुल किता 10 कुल रकबा 4.20 है0 वाके ग्राम सडा तहसील उनियारा में स्थित है। प्रार्थी के पिता रामकुंवार व मूलचन्द दोनों सगे भाई थे। मूलचन्द जी के कोई पुत्र अथवा पुत्री संतान नहीं थी तथा रामकुंवार जी के भी प्रार्थी ही एक मात्र विधिक संतानवारीस व उत्तराधिकारी था। इस कारण मूलचन्द व रामकुंवार दोनों की मृत्युपरान्त उनका फोती नामान्तरकरण खुला तो राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 6 कुल किता 10 कुल रकबा 4.20 है0 ग्राम सडा में प्रार्थी का नाम कजोड पुत्र रामकुंवार अंकित हो गया तथा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 9 कुल किता 10 कुल रकबा 4.30 है0 में प्रार्थी का नाम कजोड पुत्र मु0 मूलचन्द अंकित हो गया। प्रार्थी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम कजोड पुत्र रामकुंवार ही अंकित है। उक्त राजस्व रेकार्ड खाता संख्या 9 में प्रार्थी का नाम कजोड पुत्र मु. मूलचन्द दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने, कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड रहा है।



उपखण्ड अधिकारी  
उनियारा

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काशत की आराजीयात खाता संख्या 9 ख0न0 235 रकबा 0.10, ख0न0 236 रकबा 0.03, ख0न0 251 रकबा 0.04, ख0न0 254 रकबा 0.27, ख0न0 255 रकबा 0.21, ख0न0 299 रकबा 0.13, ख0न0 300 रकबा 0.13, ख0न0 307 रकबा 0.20, ख0न0 316 रकबा 0.39, ख0न0 703 रकबा 2.80 कुल किता 10 कुल रकबा 4.30 है0 वाके ग्राम सडा तहसील उनियरा मे प्रार्थी का नाम कजोड पुत्र मु. मूलचन्द के सीन पर कजोड पुत्र रामकुवार अंकित करवाते हुये राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आराजी ख0न0 235, 236, 251, 254, 255, 299, 300, 307, 316, 703 कुल किता 10 कुल रकबा 4.30 है0 वाके ग्राम सडा कजोडमल को मूलचन्द की विरासत से प्राप्त हुई है। प्रकरण मे पिता का नाम परिवर्तन किया जाना उचित नही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071-2073 वाके ग्राम सडा मे आराजी ख0न0 235, 236, 251, 254, 255, 299, 300, 307, 316, 703 कुल किता 10 कुल रकबा 4.30 है0 कजोडमल पुत्र मु. मूलचन्द जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता बैंक आफ बडोदा शाखा सूथडा दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071-2073 वाके ग्राम सडा मे आराजी ख0न0 239, 240, 298, 301, 310, 317, 318, 829/747, 376, 704 कुल किता 10 कुल रकबा 4.20 है0 कजोडमल पुत्र रामकुवार जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता बैंक आफ बडोदा शाखा सूथडा दर्ज रिकार्ड है। आराजी ख0न0 235, 236, 251, 254, 255, 299, 300, 307, 316, 703 कुल किता 10 कुल रकबा 4.30 है0 वाके ग्राम सडा कजोडमल को मूलचन्द की विरासत से प्राप्त हुई है। प्रस्तुत प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नही आता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे चलने योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 11.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



उप(सुप्री उजनी नीणा )  
उपखण्ड अधिकारी उनियारा